हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

25-1-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् ~~कलक्टर~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य~~ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-2-2020 को पेश हो।

रीडर

1-2-2020 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् ~~कलक्टर~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य~~ चुनाव कार्य में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-1-2021 को पेश हो।

रीडर

5-1-2021 वकील वादी उप० | बहस सुनी गई | दावा वादी डिक्री किया जाता है | विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया | पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:34 IST
Reason: SelfAttested

131/2019 24.10.2019 5.1.2021

अतरसिंह पुत्र रामसहाय, गुर्जर नि0 सालोदा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
3. बबलू पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
4. विष्णु पुत्र भूरा, हरिजन निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी
5. प्रकाश चन्द गुप्ता पुत्र रामस्वरूप गुप्ता जाति महाजन निवासी वैद्य कालोनी, गंगापुर सिटी (नाम हजफ)

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम,एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जो मुख्य सडक के सहारे स्थित है। प्रतिवादीगण की नीयत खराब है और वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते रहते हैं। भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रतिवादीगण पूर्व में भी वादी की भूमि पर वादी द्वारा बनाई गई छान में घुस गए किन्तु दिनांक 29.1.13 को फिर निकल गए। इस बाबत् प्रतिवादीगण ने एक इकरारनामा भी वादी के हक में रू0 100/— के स्टाम्प पर लिखवाकर स्वयं के हस्ताक्षर कर नोटरी करवा दिया। वादी अपनी भूमि पर काबिज रहकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। दिनांक 12.9.2019 को वादी अपनी भूमि को संभालने गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि आज के बाद इस भूमि पर मत आना। इस पर हम कब्जा करेंगे, वादी की छान में घुसकर कब्जा कर लेंगे एवं भूमि की किस्म परिवर्तित कर देंगे। वादी ने मौके पर आपत्ती की एवं प्रतिवादीगण को बताया कि तुम पहले इस बारे में स्टाम्प लिख चुके हो इस पर प्रतिवादीगण नाराज हो गए और कहा कि तुम यहां कौनसे बैठे रहते हो हम कभी भी कब्जा कर लेंगे, भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे एवं ज्यादा किया तो छुआछूत के केस में व हमारी महिलाओं से बलात्कार का झूंठा केस लगवा देंगे फिर तुम कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। इस कारण वादी को दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 5 भूमि में सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
कलेक्टर
(स0मा0)

12.9.2019 को पैदा हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 921 रकबा 0.05 है0ग्राम मिर्जापुर के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावें, वादी की भूमि पर कब्जा नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 भूमि में सहखातेदार है इसलिए वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 5 का नाम हजफ किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से दिनांक 15.11.2019 को श्री नरेन्द्र वर्मा, एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अभिभाषक द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु निरन्तर समय चाहा गया, जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ फलस्वरूप दिनांक 2.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का जबाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 2.11.2020 को, दिनांक 9.11.2020 को, दिनांक 11.11.2020 को एवं दिनांक 13.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के वकील एवं स्वयं प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण दिनांक 13.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम मिर्जापुर प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है एवं स्वयं के बयान कराए हैं। इसके अतिरिक्त वादी ने प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 29.1.2013 को लिखे गए इकरारनामे की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रकरण मे बहस विद्धान वकील वादी सुनी गई। वादी के विद्धान वकील ने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर [illegible] अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार [illegible] भूमि वादी नरसिंह हिस्सा 1/2, प्रकाश चन्द गुप्ता हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार समय लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:34 IST
Reason: SelfAttested

जाने के बाद भी वादपत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अन्त में प्रतिवादीगण एवं इनके वकील न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हित नीहित नहीं है। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की होने के कारण वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। फलस्वरूप वादी का दावा डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0नं0 921 रकबा 0.05 है0 ग्राम मिर्जापुर के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में वादी एवं प्रकाशचन्द गुप्ता को किसी भी प्रकार से कोई नजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें। इस भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करें एव ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:30:34 IST
Reason: SelfAttested